क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

सूचना

1. माह जुलाई, 2025 एवं अगस्त, 2025 की संयुक्त बैठक हेतु आवेदन ऑनलाईन समर्पित कर कार्यालय में जमा करने की तिथि–**25.07.2025 से 28.07.2025 (संध्या 04:30 बजे तक)।**
   आवेदन परिवहन विभाग के बेवसाईट सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाईन स्वीकृत किया जायेगा। विभाग द्वारा अधिसूचित मार्ग पर ही आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। समय – सारणी 24 घंट (रेलवे की समय सारणी के अनुरूप) के प्रारूप में होनी चाहिए।
   (स्थायी, प्रतिहस्ताक्षर, नवीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन)
2. समय सारणी का प्रकाशन **–29.07.2025**
3. आपत्ति देने की तिथि **–31.07.2025 (पू011:00 बजे से अप0 05:00 बजे तक)**
4. प्राधिकार की बैठक की तिथि **–11.08.2025 (सोमवार) अप0 04:00 बजे से।**
   नोट :–(1) प्राधिकार में समर्पित किये जाने वाले आवेदन पत्र विभागीय पत्रांक–5518, दिनांक–02.09.2021 में दिये गये निदेश के आलोक में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित होना एवं आवेदन पत्र का सभी कॉलम भरा हुआ रहना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ जो शपथ पत्र दिया जाएगा, उसे विहित प्रपत्र में पूर्ण विवरण के साथ समर्पित करना होगा। साथ ही विभागीय निदेश के आलोक में सभी वांछित कागजातों को जमा करना होगा। आवेदन के साथ अद्यतन तीन वित्तीय वर्षों का आयकर एवं पेशाकर के भुगतान से संबंधित साक्ष्य एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित करेंगे, अन्यथा आपके आवेदन पत्र पर बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।
5. Online समर्पित आवेदन की एक प्रति व विहित प्रपत्र में (टंकित अथवा सुस्पष्ट अक्षरों में) समय सारणी एवं सभी वांछित अद्यतन कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। सभी वाहन स्वामी आवेदन/आपत्ति निर्धारित समयावधि में पंक्तिबद्ध होकर एवं शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
6. आपत्ति के साथ धारित परमिट (समय सारणी सहित) की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपत्ति से संबंधित साक्ष्य बैठक में ही उपलब्ध कराना आपत्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक आपत्ति हेतु आपत्ति शुल्क रू0 1000.00 जमा करनी होगी।
7. वाहन से संबंधित सभी मान्य कागजात अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में आवेदन/आपत्ति पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदन पत्र/आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि को निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जाएँगे।
9. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क दोनों एक ही साथ चालान के रूप में जमा करना होगा। आवेदक अपना ई–मेल एवं मोबाईल नं0 आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
10. आवेदन पत्र में वर्णित मार्ग सरकार द्वारा अधिसूचित मार्ग के अनुरूप होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अधिसूचित मार्ग की सं0 दर्शाना होगा। साथ ही इसकी छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
11. बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन के पश्चात् सभी स्वीकृत मामलों के वाहन स्वामी सभी वांछित कागजात एक माह के अन्दर जमा कर परमिट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा वैसे सभी आवेदन स्वतः अस्वीकृत कर ऑनलाईन से हटा दिया जायेगा।
12. सभी आवेदनकर्त्ता/आपत्तिकर्त्ता/विद्वान अधिवक्ता बैठक के एक घंटा पूर्व कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

manoj/d/drive/agengda/meetingletterprakashan

13. 15 (पन्द्रह) वर्ष से अधिक आयु के वाहन का परमिट आवदेन/आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14. ऑफलाईन परमिट के आधार पर किये गये आवेदन/आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. प्रत्येक बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में कम से कम 05 (पाँच) मिनट का समय अंतराल मान्य होगा। आगमन समय पर आपत्ति विचारणीय नहीं होगा।

16. पीछे प्रस्थान करने वाले वाहन पर आपत्ति विचारणीय नहीं होगा।

17. किसी भी बिन्दु पर प्रस्थान समय से टकराव की स्थिति में अथवा गति सीमा उल्लंघन की स्थिति में वाहन स्वामी को अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करना होगा। अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित नहीं करने अथवा पुनः उन बिन्दुओं पर किसी अन्य वाहन के प्रस्थान समय से टकराव होने अथवा गतिसीमा उल्लंघन होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

18. आवेदित वाहन/आपत्ति करने वाले वाहन के सभी मान्य कागजात यथा कर, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदित वाहन/आपत्ति करने वाले वाहन के स्वामी के नाम से निबंधित किसी भी वाहन का कर बकाया नहीं होना चाहिए।

19. MPPY के मार्ग पर परिचालन हेतु आवेदित वाहन समय-सारणी पर सामान्य मार्ग पर परिचालित वाहन के परमिट/आवेदित वाहन के समय-सारणी से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। गतिसीमा उल्लंघन करने पर उपरोक्त कंडिका 17 लागू होगा।

20. सभी स्वीकृत आवेदन के आलोक में आगामी बैठक से पूर्व परमिट का उठाव नहीं होने की स्थिति में माना जायेगा कि वाहन स्वामी को परमिट की आवश्यकता नहीं है और परमिट आवेदन अस्वीकृत समझा जायेगा और ऐसी स्थिति में बिना किसी सूचना के आवेदन ऑनलाईन से हटा दिया जायेगा।

21. आवेदनकर्त्ता एंव आपत्तिकर्त्ता के मध्य समझौता होने की स्थिति में निर्धारित समयान्तराल से कम अंतराल पर भी परमिट आवेदन स्वीकृत किया जा सकेगा। शपथ पत्र के रूप में समझौता आवेदन समर्पित करने के उपरांत ही परमिट निर्गत किया जायेगा।

22. बैठक के क्रम में उपरोक्त शर्त्तो में बदलाव अथवा उनके अलावे कोई अन्य शर्त्त लागू करने अथवा शर्त्तो को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकार के पास होगा और प्राधिकार का निर्णय ही सर्वोपरि व मान्य होगा।

23. पूर्व से प्राप्त परमिट के समय-सारणी में संशोधन के संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि समय-सारणी में संशोधन हेतु शुल्क पूर्व की भांति ही प्रति पड़ाव के दर से देय होगा।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष के आदेशानुसार,

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

ज्ञापांक -01-01/2025/परि0......181........, दिनांक ....24.07....../2025

प्रतिलिपि -श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

manoj/d/drive/agengda/meetingletterprakashan